



2026:AHC-LKO:12585-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 395/2006

चकबन्दी आयुक्त सम्बद्ध डब्ल्यू.पी.सं. 3387 एस/एस 1990

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

विजय शंकर पांडे

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	ए.आर.खान

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. राज्य अपीलकर्ता के विद्वान राज्य अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. यह विशेष अपील दिनांक 29.06.2006 को दाखिल की गई थी, जिसमें रिट याचिका सं. 3387 (एस/एस) 1990 में दिनांक 06.05.2005 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी। इस वाद में कोई स्थगन आदेश नहीं जारी किया गया था। अब हम वर्ष 2026 में हैं। यद्यपि अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी ने उस आदेश के पारित होने के समय केवल 664 दिन काम किया था, फिर भी, विवादित निर्णय के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित होने के लगभग 20 वर्ष बीत व्यतीत हो जाने और मामले में कोई स्थगन आदेश न होने को देखते हुए, यह शायद ही ऐसा मामला है जहां इस न्यायालय को इस स्तर पर अंतर न्यायालय अपील में विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए।

3. तदनुसार, अपील का **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

17 फरवरी 2026

अरनिमा